Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना.............................

खूबीराम ....बनाम .... बृजमोहन बगैराह ....

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.......................सन् ...265/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
२3/9/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम तुरतीपुरा तहसील बयाना में डौल मेडों को तोडकर नाजायज कब्जा नहीं करें। वर्णित आराजी में लगे बोर एवं बिजली कनेक्शन को नष्ट व बर्बाद नहीं करें। फसल को नष्ट व बर्बाद नहीं करें। उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.11.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम तुरतीपुरा तहसील बयाना में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्राथी को जरिये साधारण/~~रजिस्टर्ड~~ डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.11.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
25/11/25	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। ...अनुसार दिनांक 19/2/26 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	

19/2/26 प्रकरण पेश हुआ। ए०ओ० प्रार्थी उप०। अप्रार्थी 1-15 बाद तामील अनु०। अप्रा० 1-15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण वास्ते बहस/ दिनांक 14/5/26 को पेश हो।

14/5/26 प्रकरण पेश हुआ। ए०ओ० प्रार्थी उप०। स्थगन आदेश बाबत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राइमा फेसी केस व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है।

अत: न्यायालय हाजा से जारी अंतरिम स्थगन आदेश दि० 23/9/25 को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से मन हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।